



रेरा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल दूरभाष -0755-2556760
Website:- www.rera.mp.gov.in, Email Id:- secretaryrera@mp.gov.in

प्ररूप-ज, नियम 11(1) एवं 11(2)

भू-संपदा अभिकर्ता का पंजीयन प्रमाण पत्र

यह पंजीयन अधिनियम की धारा-9 के अंतर्गत निम्नलिखित अभिकर्ता के लिए दिया जा रहा है

पंजीयन क्रमांक: **A-SGR-25-2332**

1. व्यक्ति की दशा में: श्री / श्रीमती: **SATYAM RAJAK** पुत्र श्री / श्रीमती: **MANOJ RAJAK**

तहसील: **SAGAR**

जिला: **SAGAR**

राज्य: **MADHYA PRADESH**

जिसका पंजीकृत कार्यालय / कारोबार का प्रमुख स्थान: **HOUSE NO. 109/NEAR KANCH MANDIR, VIVEKANAND WARD, SAGAR, 470002** में स्थित है, को अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के निबन्धनों के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य सरकार में पंजीकृत अचल संपत्ति परियोजना में यथास्थिति किसी भू-खण्ड, बहुखण्डीय भवन या भवन के विक्रय या क्रय को सुकर बनाने के लिए भू-संपदा अभिकर्ता के रूप में कार्य करने हेतु यह पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

2. यह पंजीयन निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया गया है, अर्थात्:-

- भू-संपदा अभिकर्ता अधिनियम की धारा 10 में उल्लेखित प्रावधानों का पालन करेगा।
- भू-संपदा अभिकर्ता ऐसे लेखे, अभिलेख और दस्तावेज़ संधारित तथा सुरक्षित रखेगा जैसा कि नियम 14 में उपबंधित है।
- भू-संपदा अभिकर्ता यथास्थिति किसी भूखण्ड, भूखण्डीय भवन या भवन की बुकिंग और विक्रय के समय आबंटिती और सम्प्रवर्तक को अपने-अपने अधिकारों का प्रयोग करने तथा अपने-अपने दायित्वों को पूरा करने हेतु समर्थ बनाने में सहायता करेगा।
- भू-संपदा अभिकर्ता अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगा।
- भू-संपदा अभिकर्ता क्षेत्र जिसमें परियोजना का विकास किया जा रहा है में तत्सम प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों का उल्लंघन नहीं करेगा।
- भू-संपदा अभिकर्ता ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।
- भू-संपदा अभिकर्ता प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किए गए संव्यवहारों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रारूप-3 में उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत दिनांक 31 मई तक प्राधिकरण के पोर्टल पर अनिवार्यतः अपलोड करेगा।

3. पंजीयन दिनांक **06-Oct-2025** से प्रारंभ होकर और दिनांक **05-Oct-2030** तक पांच वर्षों के लिए विधिमान्य रहेगा, जब तक कि अन्यथा अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों को उपबंधों के अनुसार विनियामक प्राधिकरण द्वारा नवीनीकृत नहीं कर दिया जाता।

4. यदि भू-संपदा अभिकर्ता द्वारा ऊपर वर्णित शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है तो विनियामक प्राधिकरण भू-संपदा अभिकर्ता के विरुद्ध आवश्यक कदम उठाएगा जिसमें अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार प्रदान किए गए पंजीयन का प्रतिसंहरण भी सम्मिलित है।

दिनांक:
स्थान: भोपाल

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
मं०प्र० भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण